संख्या :999 /XVII-1/2009-54(स.क.)/2002

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 14 सितम्बर 2009.

विषय :अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं विभिन्न जनपदों के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिभा केन्द्र के रूप में *एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, जनपद–देहरादून* में संचालित करने की सहमति प्रदान की गई गयी है। तत्क्रम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन निम्नवत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. <u>उद्देश्य</u>

(1) प्रदेश के प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास (मानसिक शारीरिक व आध्यात्मिक) कर अधिकतम दक्षताओं का विकास।

(2) क्षेत्रीय असमानताओं से ऊपर उठकर विद्यार्थियों को प्रगति के अवसर उपलब्ध कराना।

(3) विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना।

(4) विद्यार्थियों में अपने पर्यावरण के प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा करना।

(5) विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा प्रदान कराया जाना।

(6) विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

(7) विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर, छात्रों को राष्ट्र की सेवा में उच्च स्तरों पर महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन हेतु दक्षता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

2. <u>कार्यान्वयन योजना</u>

(1) प्रस्तावित विद्यालय में कक्षा 6–12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ निःशुल्क सहशिक्षा प्रदान की जायेगी।

(2) एकलव्य आदर्श विद्यालयों के प्रवेश हेतु चयन, उनकी पात्रता, विद्यालय का पाठ्यक्रम, प्रबन्ध अध्यापकों का चयन, विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधायें निम्नवत् होंगी–

(क) <u>प्रवेश की व्यवस्था</u>

(I) प्रारम्भ में विद्यार्थियों का प्रवेश कक्षा 06 में किया जायेगा। आगामी वर्षो में शनैः–शनैः उच्च कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।

(II) विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय परीक्षा एकलव्य समिति के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

(ख) <u>प्रवेश हेतु पात्रता</u>

(I) कक्षा 06 में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की आयु 01 जुलाई को 10 वर्ष से 12 के मध्य होगी।

(II) कक्षा 06 में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से क्रमशः कक्षा 05 उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(III) प्रवेश हेतु बालक व बालिकाओं का अनुपात 50–50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) <u>शिक्षण व्यवस्था</u> : उक्त विद्यालय में कक्षा 06 से 12 तक की कक्षायें संचालित की जायेगी। प्रत्येक कक्षा के 02 अनुभाग होंगे। प्रत्येक अनुभाग में अधिकतम छात्र संख्या 30 होगी। इस प्रकार विद्यालय में अंतिम रूप से विद्यार्थियों की कुल संख्या 420 निर्धारित की गयी है।

(घ) <u>पाठ्यक्रम</u> : चूंकि इस विद्यालय का उद्देश्य संस्था को अध्ययन व अध्यापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में स्थापित किया जाना है, अतः इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यहां से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी विभिन्न राष्ट्रीय सेवाओं में प्रतियोगितात्मक

परीक्षाओं में प्रतिभाग कर व तकनीकी के क्षेत्र में उच्च/दक्षता प्राप्त कर उपलब्ध रोजगारपरक सुविधाओं का समुचित उपयोग कर सकें। अतः इस विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. का पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा तथा सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये। साथ ही उत्तराखण्ड राज्य की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुपूरक पाठ्य सामग्री के समावेश हेतु प्रत्येक कक्षा में एक पुस्तक एस.सी.ई.आर.टी, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार कर संचालित की जाए।

(ड़) <u>शिक्षा का माध्यम</u> : हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय तथा उसके लिए शिक्षा के माध्यम का चुनाव विद्यार्थियों द्वारा किया जायेगा। जिस हेतु प्रवेश की मैरिट को आधार माना जाएगा।

(छ) <u>विद्यालय हेतु अध्यापकों की व्यवस्था</u>

(I) विद्यालय हेतु प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य/अध्यापकों का चयन शिक्षा विभाग में कार्यरत समकक्ष आवेदकों, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आदि प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि 05 वर्ष की होगी, किन्तु अक्षमता अथवा अस्वस्थता आदि अपरिहार्य कारणों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि कम की जा सकती है तथा अध्यापकों की कार्य कुशलता कार्य प्रणाली अच्छी पाये जाने पर पुनः प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ायी जा सकती है।

(II) प्रतिनियुक्ति पर योग्य अध्यापक न मिलने की दशा में निश्चित मानदेय पर भी अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है। इस हेतु 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षक भी अर्ह होंगे।

(III) प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य/शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों का चयन "एकलव्य विद्यालय संगठन समिति" द्वारा गठित

क्रमशः पृष्ठ-04 पर

बोर्ड द्वारा किया जायेगा। शिक्षक के कार्यानुभव और उसके अध्यापन के दौरान पढ़ाये गये परीक्षाफल के आधार योग्यतम् अध्यापकों का चयन किया जाएगा। महिला एवं पुरूष दोनों को योग्यता के आधार पर चयनित किया जाएगा।

(IV) विद्यालय का प्रधानाचार्य, समस्त विद्यार्थियों की उपलब्धियों के प्रति उत्तरदायी होगा व विद्यालय के उत्तम स्तर के परीक्षाफल का दायित्व भी उसका होगा। सम्बन्धित विषय के अध्यापक अपने छात्रों के परीक्षाफल के प्रति उत्तरदायी होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक/कर्मचारियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भी व्यवस्था की जाएगी।

(ज) <u>विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था</u> : मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में "एकलव्य विद्यालय संगठन समिति" द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यदि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा योग्य छात्रों को कोई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो विद्यालय प्रबन्धन समिति इसे स्वीकार करेगी।

3. <u>प्रबन्धन</u> : विद्यालय का प्रबन्धन "एकलव्य विद्यालय संगठन समिति" द्वारा गठित "प्रबन्धन समिति" द्वारा किया जाएगा। "एकलव्य' विद्यालय संगठन समिति" अपने कृत्यों के लिए अन्तिम रूप से शासन के प्रति उत्तरदायी होगी।

4. <u>अन्य</u> : एकलव्य आदर्श विद्यालय में बच्चों के वस्त्र आदि के सम्बन्ध में मानक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के समरूप रहेंगे। विद्यालय में भोजन व्यवस्था "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008" के प्रावधानों के अनुरूप वाह्य संस्था द्वारा की जायेगी तथा विद्यालय हेतु समस्त सामग्रियों का क्रय "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008" के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

पृष्ठांकन संख्या-999(1)XVII-1/2009-54(स.क.)/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजनाधिकारी, आई.टी.डी.ए., उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग--03, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।